FRA NOC Certificate regarding settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006

Date:

FORM 1(for Linear projects)

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11/9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects,

It is thus certified that laying of optical fiber cable (OFC) in forest land along the road at Hill Side on for 0.79 Hectare forest land for Laying of Optical Fiber Cable (OFC) along with road at Hill Side on, NH – 20 / 707A, Lohari – Tyuni – Mori Motor Marg. Total km 79.00 & 0.79 Ha. in Forest Division Chakrata District: Dehradun –UK by Reliance Jio.

It is further certified that:

- (a) The complete survey for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.79 Hectares** of forest area proposed for diversion for laying of optical fibre along the ROW width leased to PWD / NHAI on NH 20 and 707A.
- (b) The diversion of forest land for facilitates managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the consent of Grama Sabhas isNot applicable / exempted for Linear projects like OFC laying (as per GOI, Ministry of Environment, Forests and Climate Change (Fc Division) letter F. No.: 11-9/98-Fc (pt) dt: 28/Oct/2014.
- (c) The proposal does not involve recognized right of the Primitive Tribal Groups and Preagricultural communities.

District Collector Dehradun

(Full name and seal of the DC/DM)

जिलाधिकारी देहरादून

कार्यालय – उप जिलाधिकारी, घकराता / त्यूनी देहरादून अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2008 के तहत् प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, कालसी, देहरादून

उपखण्ड वकराता. देहरादून परिक्षेत्र के चकराता वन प्रभाग के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकास खण्ड वकराता के अन्तर्गत Reliance 4G project for Laying of Optical Fibre Cable (OFC) along with road at Hill Side on SH-17 Lohari-Tyuni (Km. 0.00 to 60.00 Km.) Tyuni-Mori (Km. 0.00 to 19 Km.) till Khunigad, Uttarkashi Border Total (79.00 Km, 0.79 hac.) तक मोटर मार्च के किमारे ऑप्टिकल फाइवर केंबिल निष्ठान हिंद अपेक्षित 0.79 हैं) यन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् मैर क्विनिकी कार्यों हेतु Reliance Jio Infocomm Ltd. के पक्ष में 30 वर्षा की लीज पर दिये जाने हेत् अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परामत बनवासी (वन अधिकारों की मानदार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति,(तहसाल चकराता) की दिनांक..... कार्यसभी का विवरण

अनुसूचित जनजाति और अन्य परापरागत बनवासी बन अधिकार्य की मुख्यता) अधिनियम 2006 एवं निरुत्त 2006 व िवाशिकसे एवं अध्यक्ष रापः अन्तर्गत उपल्यण्ड रतरीय वन अधिवार समिति की बैठक श्री वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में अध्यक्षित की गयी। बैठक में माननीय सुरुखी की उपल्यात निम्नानु आधारका ल

श्रीत्वा के वी दावारी

या देशक में बामार्ट्साला स्थ प्राथमिक वनाशिकारी

जिला देव

उपखण्ड रावित द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वामत व्यास नहरी विवस्त्र कालस्या अनुमा कार्यवाही प्रारम्भ की मयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया मधा कि चकराता वन प्रमाम के रीवर रजा जनपद देहरायुन के विकास खण्ड कालगी के अन्तर्गत Reliance 4G project for Laying of Optical Fibre Cable (OFC) along with road at Hill Side on SH-17 Lohari-Tyuni (Km. 0.00 to 60.00 Km.) Tyuni-Mori (Km. 0.00 to 19 Km.) till Khunigad, Uttarkashi Border Total (79.00 Km, 0.79 hac.) जिस् मोटर महा ल किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.79 हैं0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहरा मेर दिनकी कार्या हेतु Reliance Jio Infocomm Ltd. के पक्ष में 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने हेत् प्रस्ताव मानवीय सर सह व नाम रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्भत वनाधिकार का कोई नामला लिबत नहीं है। उक्त भूमि का सबंदित द्वाम सभा द्वान नहीं हाल रो पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशसा की गयी है।

सम्बन्धित सप प्रभागीय बनाधिकारी कालसी एवं त्यूनी चकराता वरा प्रमाग द्वारा अनुसूचित जनज र और अन्य परम्परागत बनवासी (बन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम २००६ एवं तत्सबंधी नियम २००८ के प्राविधान को स्पष्ट कर 🔆 जानकारी से मानतीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनिधम, 2006 के अन्तर्गत किसी 🤲 अन्तर् दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम समा / ग्राम प्रधायत द्वारा अनगपति जारी की जा नृति ।' ान प्रकरण में उपरायण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्धसमम्ति से उपखण्ड वकराता परिक्षेत्र के अन्तर्गत वकराता वन प्रमार जनपद देहरादून के विकास खण्ड वकराता के अन्तर्गत Reliance 4G project for Laying of Optical Fibre Cable (OFC) along with road at Hill Side on SII-17 Lohari-Tyuni (Km. 0.00 to 60.00 Km.) Tyuni-Mori (Km. 0.00 to 19 Km.) till Khunigad, Uttarkashi Border Total (79,00 Km, 0.79 hac.) किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.79 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत मेर अभिक्र कार्या हेतु Reliance Jio Infocomm Ltd. को जनहित में राक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्णित किये जन्म पर

प्रतिक्रिपे - जिल्लाधिकारी देशसद्दन को सुबनार्थ एवं जावश्यक अधिनहीं हेर्चु :

महायक समाज कल्याण